

सं० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
महावीर कैसर सरथान,  
फूलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . . .

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	सौरभ कुमार पिता—गणेश मडल ग्राम—ब्राहमण टोला पोस्ट+थाना—सबौर जिला—भागलपुर एम०सी०एस—एफ 73656	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	गंगा देवी पति—राजनीति सिंह ग्राम—मौरकाही पो०—अम्बा थाना—अलौली जिला खगडिया एम०सी०एस—एफ 98073	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	परमानन्द शर्मा पिता—स्व० सकलदेव शर्मा ग्राम—पुनौर पो०—कोलवारा थाना—पसराहा जिला—खगडिया एम०सी०एस—जी० 8383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मनिषा देवी पति—राज किशोर पासवान ग्राम—सहोरवा पो०—दलकाबा पो०—सोनवर्षा जिला—सीतामढी एम०सी०एस—जी० 8442	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मनोहर प्रसाद पिता-जनक प्रसाद ग्राम-दुयगौली बार्ड 10 पी0-बशीही शाना मशरक जिला सारण एम0सी0एस-पी0 764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
6	सोनी कुमार पति चंदन कुमार ग्राम-मनुआली पी0-शकरपुर बलीहा शाना-इंदपुरी जिला-शिवगंज एम0सी0एस-पी0 7041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
7	राजपती देवी पति-खो छोटन ठाकुर ग्राम+पी0-सकरिया शाना-परसा बाजार जिला पटना एम0सी0एस-पी0 631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
8	शीला देवी पति-जगदीश दास ग्राम-पटौरी पी0-बांसवासा शाना-हाथगाटा जिला-दरभंगा एम0सी0एस-पी0 2721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
9	मरत राय पिता-राम ईश्वर राय ग्राम-बक अपसैद पी0-परमानंदपुर शाना-सोनपुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 7699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
10	गुडिया देवी पति-राहुल कुमार ग्राम-पी0-दनाडा शाना-बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस-पी0 8423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
11	राजेंद्र प्रसाद पिता-तेज सिंह ग्राम-सुरगापुर पी0-सदश शाना-सदश जिला-मौजपुर एम0सी0एस-पी0 8066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपये।

12	उर्मिला देवी पति-मोती चन्द्र साह ग्राम-ट्रेनिंग स्कुल चौक पो0+थाना-फारबीसगज जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 64634	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	सुदर्शन सिंह पिता-स्व0 रगीला सिंह ग्राम-लोही पो0-आयर थाना अगियाव बाजार जिला भोजपुर एम0सी0एस-जी0 3221	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	कारी रजक पिता छोटन बैठा ग्राम+पो0-ऐजनी थाना-छौडाही जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 8839	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	विन्दु देवी पति-सजय कुमार सिंह ग्राम-सतुआही पोस्ट-सतुआही थाना-जम्होर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 99003	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	शीला देवी पति-प्रमेश्वर यादव ग्राम-बल्डीहा पोस्ट-जय नगर थाना-जय नगर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 7812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	दिनेश गोस्वामी पिता-पारशनाथ गोस्वामी गाम-चौहान बरहेटा पो0-अररुजा थाना-करगहर जिला-रोहतास एम0सी0एस-ई0 796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	आशा देवी पति-अनिल कुमार ग्राम-पूर्णन्दु नगर खोजा इमली के नजदीक पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 34892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	शाहिद एकबाल पिता-मो० नुरुल होदा ग्राम+पो०-गरहा थाना-लदनियॉ जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 6568	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	अमित राज पिता-अनुप देव प्रसाद ग्राम-बालुपर कुर्जी पो० सदाकत आश्रम थाना-दीघा जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 60006	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	ममता देवी पति-अरुण यादव ग्राम+पो०-रतनपुरा थाना-अशोक पेपर मिल जिला दरभंगा एम०सी०एस-जी० 4	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मास्टर अशु राय पिता-कृदन पासवान ग्राम-मोहिउद्दीनपुर पोस्ट-पेशौर थाना बिहारशरीफ जिला नालदा एम०सी०एस-जी० 9659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	जिया भारती पिता- राकेश कुमार गुप्ता ग्राम- ध्रुवगज पो०- खरीक बाजार थाना- खरिक जिला- भागलपुर एमसीएस न०- जी 4197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	भगत सिंह पिता-शिवधारी सिंह गाम-भूप भौरा पो०-भूप भौरा थाना+जिला-सीतामढी एमसीएस न०-जी 9641	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	असगर बैठा पिता-दिलजान बैठा ग्राम-बलेथा पुरबपट्टी पो०-पकबलिया थाना-सिवान मुफ्फसिल जिला-सिवान एमसीएसन०- जी 9186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सुगिया देवी पति-छट्टु चौधरी ग्राम-बलुआ नेवाज राय पो0-योगापट्टी थाना-योगापट्टी जिला-प0 चम्पारण एमसीएसन0-जी 3380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मो0 आदिल पिता-आजाद आलम ग्राम-जिवछपुर पो0-जिवछपुर थाना-गमरिया जिला मधेपुरा एमसीएसन0-एफ 56098	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	सत्या देवी पति-दशरथ माझी ग्राम-जहांगीरपुर खलखणनी पो0-जहागीरपुर खलखणनी थाना-महुआ जिला-वैशाली एमसीएसन0- एफ 96887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	वाहिद पिता यासिन ग्राम-खरैया पो0-बोचगाव थाना-जलालगढ जिला पूर्णिया एमसीएसन0-जी0 8860	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
30	केदार प्रसाद पिता-स्व0 रामचन्द्र प्रसाद ग्राम-बिहिया बनारसी टोला पोस्ट-बिहिया थाना-बिहिया जिला-भोजपुर एमसीएसन0-एफ 94814	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
31	शिव कुमार सिंह पिता-भुनेश्वर सिंह ग्राम+पो0-छोटका सिधनपुरा थाना-सिमरी जिला-बक्सर एमसीएसन0-डी0 87202	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	सत्य नारायण मडल पिता-चम्पालाल मडल ग्राम-करहवाडी वार्ड 01 पोस्ट-सोहागमारो थाना-बरदाहा जिला-अररिया एमसीएसन0-जी0 5220	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	नरगीस इमाम पति-अफसर इमाम ग्राम-बरहनी बाजार पो-सिवान मुफ्फसल थाना मुफ्फसिल जिला सीवान एमसीएसन0-डी0 22077	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
34	अशोक कुमार पिता-मुन्नीलाल पासवान ग्राम-तालीमपुर पोस्ट-गुलवारा मधुबन थाना मधुबन पी0एस0 जिला पूर्वी चम्पारण एमसीएसन0-एफ 3311	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	मुन्नी देवी पति-मिथलेश राय ग्राम-बडी ऐघु पोस्ट-मोहन ऐघु थाना-मुफ्फसिल जिला-बेगुसराय एमसीएस न0-जी0 7832	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
36	ममनी देवी पति-बिलास ताती ग्राम-तिलाठी पो0-राजनपुर थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एमसीएसन0-जी0 4904	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	योगेन्द्र राम पिता-मुशहर राम ग्राम+पो0-जजुआर थाना कटरा जिला-मुजफ्फरपुर एमसीएसनं0-जी0 7417	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	रूणा देवी पति-उमेश मडल ग्राम-तेलियारी पो0-जाबे थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिआ एमसीएसन0-4570	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
39	राजु कुमार चौहान पिता-सरजु चौहान ग्राम-मानापुर बाजार पोस्ट-मानापुर थाना चानन जिला-लखीसराय एमसीएसन0-जी0 9230	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

40	जीरा देवी पति-नन्हक राय ग्राम+पो0-रामरूद्रपुर थाना-पानापुर जिला सारण एमसीएसन0- 12307	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
41	सुरेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 लाल चन्द्र प्रसाद ग्राम-मोहम्मदपुर पो0-रसीसा थाना-औगारी जिला नालदा एमसीएसन0-जी0 9045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रीता देवी पति-चरशेखार प्रसाद ग्राम-बहोदी बिगहा पोस्ट-मोकरता थाना-कराय पर सुराय जिला नालदा एमसीएसन0-जी0 6653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	लखन सदा पिता-जवाहर सदा ग्राम-भगवतपुर बरईपुरा पो0-भगवतपुर थाना-सराय जिला-समस्तीपुर एमसीएसन0-जी0 4604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुकवारो देवी पति-मेघनाथ पडित ग्राम-पेगवारा पो0+थाना-पचरूखी जिला-सीवान एमसीएसन0-एफ 51421	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	सगीता देवी पति-सतोष राम ग्राम-दौलतपुर वार्ड 10 पो0-मसाढी थाना गौरीचक जिला पटना एमसीएसन0-जी0 8488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अमर कुमार गौरव पिता-स्व0 प्रेम नारायण प्रसाद ग्राम-रोड न0-2 गर्दनीबाग पो0-जी0पी0ओ0 थाना गर्दनीबाग जिला-पटना एमसीएसन0-जी0 8405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	हुस्न आरा पति-भोलु आलम ग्राम-परसीया पोस्ट+थाना-कोचस जिला-रोहतास एमसीएसन0-जी0 6361	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	सुनैना देवी पति-भम्भू यादव ग्राम-पजिअरवा पो0-पजिअरवा थाना सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण एमसीएसन0-जी0 7869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	श्रीमती साव पति-अजय कुमार साव ग्राम-धाना वार्ड 02 पोस्ट-काब थाना-रानी तालाब जिला-पटना एमसीएसन0-जी 4403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	यासमीन खातुन पति- मो0 सोहराव ग्राम-निसारपट्टी पो0-ग्वाल टोली थाना-आबादपुर जिला-कटिहार एमसीएसन0-जी 5819	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	मो0 शमशेर पिता-मा0 जब्बार ग्राम-सिसवा बछवारा पोस्ट-बछवाडा थाना-बछवाडा जिला-बेगुसराय एमसीएसन0-जी0 8677	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	शनिचर मिया पिता-मुस्लिम मिया ग्राम-पडौल उर्फ पथपाकड पो-पंथपाकड थाना बथनाहा जिला-सीतामढी एमसीएसन0-जी 5321	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	पार्वती देवी पति-सुनील साव ग्राम+पो0-मलहद थाना-बदेया जिला-औरगाबाद एमसीएसन0-जी 8842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	सोनु कुमार पिता-प्रहलाद साव केशरी ग्राम-बढई टोला गुलजारबाग पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला-पटना एमसीएसन0-जी 9348	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	रजु देवी पिता-रविन्द्र राम ग्राम-कुसदास पोस्ट+थाना-लालगज जिला-वैशाली एमसीएसन0-जी 411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सीता राम साह पिता-रामवरण साह ग्राम-मीरगज मुसहरी पो0-मीरगज थाना-मीरगज जिला पूर्णिया एमसीएसन0-जी 5293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	विरेन्द्र सिंह पिता-चदो सिंह ग्राम-महरथ पो0-बाजितपुर थाना-साहपुर जिला-नवादा एमसीएसन0-जी 9752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	शहनाज पति-मो0 मोफिल ग्राम-नोखरिया पो0-बहरबारी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एमसीएसन0-जी 4917	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	कोशिला देवी पति-तुफानी बैठा ग्राम-बरनैया राजाराम पोस्ट-ढेबवा थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगज एमसीएसन0-जी 8729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	नाजो खातुन पति-समसुल उद्दीन ग्राम-मानसी घरासी पोस्ट-मानसी थाना-मानसी जिला-खगडिया एमसीएसन0-जी0 7825	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

61	सागो देवी पति-जयराम ऋषि ग्राम-छोटा रघुनाथपुर पो0-अमदाबाद थाना-अमदाबाद जिला-कटिहार एमसीएसन0-जी 8139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	किसवा देवी पति-स्व0 नागेशर पासवान ग्राम-नौवाचक वार्ड 8 पो0-नौवाचक थाना-पातेपुर जिला वैशाली एमसीएसन0-एफ 61839	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	बिगन देवी पति-हरी साह ग्राम-जलालपुर पो0-जलालपुर थाना-जलालपुर जिला-सारण एमसीएसन0-जी 8934	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	चन्द्रकला देवी पति-राजनन्दन साह ग्राम+पो0-बेरई थाना-हथौडी जिला-मुजफ्फरपुर एमसीएसन0-जी 6663	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	महेन्द्र ठाकुर पिता-स्व0 चादो ठाकुर ग्राम-छतरपुर रक्सी पो0-लोधवे थाना-फतेहपुर जिला-गया एमसीएसन0-एफ 93801	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
66	सजय कुमार पिता-स्व0 बाबु लाल बैठा ग्राम-मझवलीया पो0-विसवार थाना-गुठनी जिला-सीवान एमसीएसन0-एफ 87199	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
67	उमाशकर राम पिता-रामेश्वर सिंह ग्राम-पकडियो विगहा 07 पोस्ट-बभन बरुई थाना-हिलसा जिला नालन्दा एमसीएसन0-जी 5141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	मानो देवी पति-स्व० बच्चु ठाकुर ग्राम-केवट नगर भदौनी पो०-नवादा थाना-नवादा सदर जिला-नवादा एमसीएसन०-एफ 98171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	शिव शंकर ठाकुर पिता-स्व० सुदर्शन ठाकुर ग्राम-मेदुका खुर्द पोस्ट+थाना-सहाजितपुर जिला सारण एमसीएसन०-जी 9535	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	सुरेश यादव पिता-सोमर यादव ग्राम-इटहरी पो०-इटवा थाना-मोहनपुर जिला-गया एमसीएसन०-जी 7964	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	ललिता देवी पति-पवन साह ग्राम-अर्हाहा पो०-सुहात थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एमसीएसन०-जी 5529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	शिखा सिन्हा पति-ऋषिदेव प्रसाद ग्राम-ए 117 पी०सी० कोलनी पो०-लोहिया नगर थाना-ककडबाग जिला-पटना एमसीएसन०-जी 8502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	प्रमोद सिंह पिता-भसगुनाथ सिंह ग्राम-दहियावा टोला टाडी पो०-टाडी थाना-मुफसिल जिला सारण एमसीएसन०-जी 409	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	निर्मला देवी पति-योगेश यादव ग्राम-सबलपुर पोस्ट-बरैनी थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एमसीएसन०-जी 78168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	मुन्ना हरिजन पिता-रूपन हरिजन ग्राम-हरिजन टोला पोस्ट-पुरैनी थाना-जगदीशपुर जिला भागलपुर एमसीएसन0-जी 8808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	नुरशबा पति-स्व0 तैहीद ग्राम-चनारदाई पो0-चनारदाई थाना-अररिया आर0 एस0 जिला-अररिया एमसीएसन0-जी 6614	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
77	नरेश पडित पिता-स्व0 वीरन पडित ग्राम+पो0-अमरपुर थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर एमसीएसन0-जी 5880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	प्रमोद यादव पिता-शिवानंद यादव ग्राम-द्वाराशय पो0-दाशय थाना-डडखोरा जिला-कटिहार एमसीएसन0-जी 6993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	शाति देवी पति-भगवान राम ग्राम-भारतीपुर पोस्ट+थाना-पौथु जिला-औरंगाबाद एमसीएसन0-जी 7923	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	राहुल कुमार यादव पिता-स्व0 उपेन्द्र यादव ग्राम-गम्हरीया पो0-सतघरा थाना-बाबुबरही जिला-मधुबनी एमसीएसन0-जी 8121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	प्रेमलता देवी पति-मुकेश यादव ग्राम-गाय घाट पो0-गंगटा मोड थाना-गंगटा जिला-मुगेर एमसीएसन0-एफ 98355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	शर्मिला देवी पति-मुकेश राय ग्राम+पो0-झाझरा थाना-जितना जिला-पूर्वी चम्पारण एमसीएसन0-एफ 89240	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	अजमेरी खातुन पति-नूरहसन असारी ग्राम-बखरौर जदी पोस्ट-कहला थाना-बरौली जिला-गोपालगज एमसीएसन0-एफ 10857	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
84	विकास कुमार पिता-जग बिहारी सिंह ग्राम+पो0-करमा थाना-काराकाट जिला-रोहतास एमसीएसन0-जी 6665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	उषा देवी पति-अरुण कुमार ग्राम+पोस्ट- खरथुआ थाना-हरनौत जिला नालदा एमसीएसन0-जी 6933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	मोहमुद आलम असारी पिता-सलामत अली असारी ग्राम+पो0-बरहन गोपाल थाना सिवान मुफ्फसिल जिला-सीवान एमसीएसन0-जी 6316	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
87	परमानन्द सिंह पिता-स्व0 जमुना सिंह ग्राम-धनवे पो0-गरही थाना-गरही जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 5994	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
88	राजेश कुमार मिश्र पिता-विद्यानन्द मिश्र ग्राम+पो0-सलीमापुर थाना-मढौरा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 9692	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	विशाल कमार ग्राम-इस्माइलपुर पो-इस्माइलपुर ग्राम-हाजीपुर सदर जिला-बैराली एमओडीएफ-जी 8292	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
90	धूम कुमार पिता-नरकल लाली ग्राम-हरनाडा पो-नवादा बाजार ग्राम-रजौन जिला-बाका एमओडीएफ-जी 8603	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
91	मर्ज देवी पति-गुलश्री मंडल ग्राम-नरका पो-राधापुर ग्राम-परवला जिला-भागलपुर एमओडीएफ-जी 6606	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
92	आशुष कुमार पिता-नर विदेश प्रसाद ग्राम-सुनिया पोस्ट-बकअवा ग्राम-शेखपुरा जिला-शेखपुरा एमओडीएफ-एफ 92383	कैसर रोंग	60,000	साठ हजार रुपये।
93	महादेव सरदार पिता-मुजलाल सरदार ग्राम-रघुनाथपुर पो-रघुनाथपुर ग्राम-जदिया जिला-सुपौल एमओडीएफ-एफ 91375	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
94	प्रभा देवी पति-आनंद सिंह ग्राम-देगडीह पोस्ट-करलाहो ग्राम-करलाहो जिला-बैराली एमओडीएफ-जी 9374	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।
95	रविन्द कुमार पिता-जगदीश सिंह ग्राम-कुसमाही पोस्ट-खरसान ग्राम-रीगा जिला-सीतामढ़ी एमओडीएफ-जी 6913	कैसर रोंग	80,000	अस्सी हजार रुपये।

96	पुजा देवी पति-विशेश्वर यादव ग्राम-वार्ड न0-6 बलुआ जागीर, पो0-झाला थाना-टेढागाछ जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 99058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	सोनु आलम पिता-आलमगीर आलम ग्राम-बेलवा पोस्ट-बेलवा थाना-साठी जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 8623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	सहदेव हाथी पिता-दूखी हाथी ग्राम-यदुपट्टी पो0-यदुपट्टी बाजार थाना-चौरौत जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 4741	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	रामरती देवी पति-मोहन पडित ग्राम+पो0-कसवा थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 9221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	केवली देवी पति-जय मगल राम ग्राम-हथिसार पोस्ट+थाना-गौरा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 8975	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	किशोरी महतो पिता-स्व0 देवन महतो ग्राम-काजीचक पो0-खजुरार थाना-भदौर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 6002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	रहीम अहमद पिता-बसीर मिया ग्राम-भवरा पो0-भवरा थाना-बलथर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	सुगान्ती देवी पति-जय नारायण शर्मा ग्राम+पो0-दीनदयालपुर थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 47061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	मीना देवी पति-सुनील ठाकुर ग्राम-अहिई पोस्ट-बैकुठपुर थाना-राजापाकड जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 8144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	मास्टर सचिन कुमार पिता-देवाश कुमार मडल ग्राम-डीहुरी पोस्ट-डडीहारी थाना-परस बिगहा जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 8888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	मीरा देवी पति-ललन प्रसाद गाम-गम्हरीया खुर्द 11 पोस्ट-किशुनपुर थाना-जलालपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 82714	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
107	कारी देवी पति-पवन शर्मा ग्राम-पटुआहा पो0-पटुआहा थाना+जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 6982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	फजीला खातुन पति-नजमुल हक ग्राम-पोरला बाडी दौला पोस्ट+थाना-किशनगज जिला किशनगज एम0सी0एस-जी0 7396	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
109	ललिता देवी पति-ध्रुव कुमार यादव ग्राम+पो0-सुपाहा थाना-कटोरिया जिला-बाका एमसीएसनं0-एफ 56087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	कोमल कुमारी पिता-सुनील राम ग्राम-कचरा पो0-कचरा थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 8755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	श्याम सुन्दरी देवी पति-ओम प्रकाश खरवार ग्राम-दल्लुपुर वार्ड 11 पोस्ट-दल्लुपुर थाना-ब्रहापुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 90495	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
112	बेला देवी पति-पुलकित महतो ग्राम+पो0-धरहरा थाना-गोपालपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 8693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	मीना देवी पति-स्व0 गगानद झा ग्राम-बरुआरी पोस्ट-गढ बरुआरी थाना-सुपौल जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 74222	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
114	कुलदीप दास पिता-रामेश्वर दास ग्राम-दास मोहल्ला पोस्ट-नबीनगर थाना-नबीनगर जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 9542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	राजकली देवी पति-देवेन्द्र राय ग्राम-रेवढा वार्ड 1 पो0-ऐवढा थाना-जाले जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 7772	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	रुबी कुमारी पति-शिव शकर कुमार ग्राम-दलदलीगज मेहदीगज पो0-पटना सिटी थाना-मेहदीगज जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 5667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	रेशमी देवी पति-राजबहाणी सहनी ग्राम-माधोपुर पोस्ट-बसतपुर थाना-जन्दाडा जिला-बेवाली एम0सी0एस-जी0 6029	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
118	सोनी कुमार पिता-बिरेन्द्र कुमार ग्राम-ठाकुर गौरा डूमरौव वाड 12 पी0-डूमरौव थाना-डूमरौव जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी 7601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	अर्जुन खतर पिता-मो फरीद ग्राम-सिसौनी पोस्ट-बडहरा थाना-सुपौल नदी जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 9595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	सोमिका कुमारी पति-रुन ठाकुर ग्राम-सरगावा पी0-सरगावा थाना-देव जिला-अरगाबाद एम0सी0एस-जी0 9860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	समीर सिंह पिता-सत्येन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-पुराईनीया पी0-नेउरा थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 9947	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	विभा कुमारी पति-रवो अशोक कुमार ग्राम-जयमाला वाड 08 पोस्ट+थाना-सिराही जिला-बेखपुरा एम0सी0एस-जी0 8690	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष पर्सिडिबल।
123	उत्सव पटेल पिता-सतियदानन्द सिंह ग्राम+पी0-धरौर थाना-रहुई जिला-नालन्दा एम0सी0एस-58700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	रुकमणी देवी पति- धर्मेन्द्र शर्मा ग्राम+पो0- मँझियावा थाना- मानिकपुर जिला- अरवल एमसीएस न0- एफ 63309	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
125	धीरेन्द्र कुमार पिता- सव0 त्रिपति राम ग्राम- अम्बेडकर नगर पो0+थाना- राजगीर जिला- नालदा एमसीएस न0- जी 9957	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
126	उपेन्द्र प्रसाद साह पिता- स्व0 रामसागर साह ग्राम- देशराजपुर महनार पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली एमसीएस नं0- एफ 97844	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
127	सिद्धार्थ कुमार गुप्ता पिता- त्रिलोकीनाथ प्रसाद ग्राम- टीचर्स कॉलोनी वार्ड 02 पो0+थाना- बिहिया जिला- भोजपुर एमसीएस न0- एफ 86443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	रामरूप यादव पिता- सरयुग यादव ग्राम- लोहना वेसट पो0- लोहना थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी एमसीएस न0- एफ 81609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	बरून देव शर्मा पिता- नरेन्द्र देव शर्मा ग्राम- सीतलपुर चकिया टोला पो0- सीतलपुर थाना- दिघवारा जिला- सारण एमसीएस न0- एफ 28292	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			<b>94,45,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 94,45,000/- (चौरानवे लाख पैतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का

प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —चितकोहरा ब्रांच, अनिराबाद, पटना RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0282779 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 86(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
15/11/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान सस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक .... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुमा देवी पति- उमेश भुइया ग्राम- धनावा पो०- जयगिर थाना- बाराचट्टी जिला- गयाजी सीआर न०- 108112502779060	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मुकुत यादव पिता- बैदयनाथ यादव ग्राम- कालिकापुर (नवटोली) पो०- कालिकापुर थाना- कलुआही जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112503423692	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सोना देवी पति- रामविलास साहु ग्राम- महथौर पो०- कटैया थाना- बासोपट्टी जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112501959901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० परवेज अली पिता- मो० नवाब जादा ग्राम+पो०- अरडा थाना- एम एच नगर जिला- सिवान सीआर न०- 108112502492658	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नीलम देवी पति- गोपाल कृष्णा ग्राम- शहरिया पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500350813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	अमृता देवी पति- निशि कात सिंह ग्राम- नौरगा पो0- तरवारा थाना- जी बी नगर जिला- सिवान सीआर न0- 108112500249748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मसूर आलम पिता- इलयास ग्राम+पो0- चिलमिल थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112301063074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मिथिला देवी पति- सियाराम महतो ग्राम- मधुरा पो0- हरभगा थाना- लखनौर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501958564	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	खुशबुन निशा पति- असलम असारी ग्राम+पो0- मरीचा थाना- सहाजितपुर जिला- सारण सीआर न0- 10811230011113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सीता शरण राय पिता- राम देव राय ग्राम+पो0- नारायणपुर थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503513772	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	देवमुनि पिता- स्व0 दिगम्बर ठाकुर ग्राम- बिष्णुपुरा पो0- गौरा थाना- गौरा बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112503526718	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	शाकेरा खातून पति- मो० जफर असाही ग्राम- अबीर मिश्रा लेन इस्लामपुर पो०- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112300431401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	आरती देवी पति- अजय कुमार झा ग्राम- ढगा वेस्ट पो०- ढगा थाना- अरेर जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112503087790	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	दिलखुश कुमार पिता- बिदेश्वरी यादव ग्राम- चरैया पो०- खुटहा बैजनाथपुर थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न०- 108112502873546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सतोष कुमार पिता- शकर राम ग्राम- भानमल के पीछे मीठापुर पो०- जीपीओ थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न०- 108112501311986	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मो० इरशाद अली पिता- मो०- हैदर अली कुरैशी ग्राम- बास कोठी गेट न०- 97 दीघा पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना सीआर न०- 108112503445203	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कविता देवी पति- उमाशकर यादव ग्राम- सहगाव पो०- बरियारपुर थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न०- 108112503306467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	यासमिन बानो पति- मो० तसलीम आजम ग्राम- गाधी सग्रहालय पटना पो०- पटना जी पी ओ थाना- गाधी मैदान जिला- पटना सीआर न०- 108112503594241	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	दिलीप साह पिता- बच्चे लाल साह ग्राम- खजुडबाडी पो0+थाना- जोगबनी जिला- अररिया सीआर न0- 108112503161841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
20	शौकत अली पिता- मो0 अयुब ग्राम- धापी पो0- काकन थाना- जोकिहाट जिला- अररिया सीआर न0- 108112503362928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	पूजा कुमारी पिता- प्रीतम यादव ग्राम+पो0- नवादा थाना- चौथम जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112502423656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	गणेश प्रसाद राय पिता- उदय नारायण राय ग्राम- काजीपट्टी पो0- मोहनपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503502801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	नवीन कुमार झा पिता- विश्वनाथ झा ग्राम- अवाम पो0- लोहना रोड थाना- सकतपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112503569565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	योगेन्द्र महतो पिता- नेमधारी महतो ग्राम+पो0+थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503482940	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सिद्धार्थ राय पिता- स्व0 सुनील कुमार राय ग्राम- प्रणब मेन्शन अपार्टमेट पार्क रोड कदमकुआं पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112501437092	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मो० शरीफ आलम पिता- मो० इस्लाम ग्राम- शिशाबाडी पो०- मदारघाट थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112502170545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सागर देवी पति- विमल पासवान ग्राम- धरनीपट्टी पो०- पचोभ थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112503188693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	दीपक कुमार सिन्हा पिता- सिन्धेश्वर प्रसाद सिन्हा ग्राम- एतवारपुर सिसौला पो०- मानिकपुर पकडी थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न०- 108112503344792	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	बृजनन्दन सिंह पिता- बलि महतो ग्राम+पो०- मल्हारी थाना- इमामगज जिला- गयाजी सीआर न०- 108112503161957	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	ऑचल कुमारी पिता- अनमोल कुमार ग्राम- भटपोखरा पो०+थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112503438789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	रेनू देवी पति- महेश बिन्द ग्राम- डेहरी पो०- पैन थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा सीआर न०- 108112501865744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	ठकनी देवी पति- प्रभु सिंह ग्राम- पिपराही पो०- दिधिया थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर न०- 108112503006196	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	बद्री यादव पिता- मुक्ति लाल यादव ग्राम+पो0- सिस्वबरहि थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502878301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
34	निधी कुमारी पिता- रोहित पासवान ग्राम+पो0- बेला सिमरी थाना- गंगौर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112502927140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	जुली देवी पति- छोटेलाल ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- नया गाव जिला- सारण सीआर न0- 108112503287926	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	अजीत कुमार पिता- प्रदीप राम ग्राम+पो0- मोख्तियारपुर थाना- दलसिंहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503556633	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
37	आदर्श कुमार पिता- सजीत कुमार बैठा ग्राम- कनना पो0- कौडिहार थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112503379707	कोकलियर इम्प्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
38	गुड्डू कुमार पिता- योगेद्र प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- मऊ जिला- गयाजी सीआर न0- 108112500748892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	दुखिला देवी पति- विजय दास ग्राम- धमना पो0+थाना- चकाई जिला- जमुई सीआर न0- 108112500482469	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	निगम कुमार सिंह पिता- स्व0 हरी प्रसाद सिंह ग्राम- डिलिया पो0- कोआथ थाना- दावत जिला- रोहतास सीआर न0- 108112300136345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

41	अमरजीत राय पिता- लक्ष्मण राय ग्राम- सोगर वार्ड 01 पो0- सोगर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300117341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	विन्देशरी सिंह पिता- जगनरायण सिंह ग्राम+पो0-कुकुडा थाना- ईटाढी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112503479159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	मदन प्रसाद पिता- धर्मदवे प्रसाद ग्राम- मोलनापुर वार्ड 07 पो0- मोलनापुर थाना- बसतपुर जिला- सिवान सीआर न0- 108112400192633	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	राम आशीष कुमार पिता- किशुन सिंह ग्राम- धनवा पो0+थाना- रूपो जिला- नवादा सीआर न0- 108112503093552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	उषा देवी पति- आलोक कुमार सिंह ग्राम- रूस्तमपुर वार्ड 13 पो0+थाना- हायाघाट जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112503206926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	उपेद्र ठाकुर पिता- महावीर ठाकुर ग्राम- गौरी मेरन वार्ड 05 पो0- बलहा थाना- राजनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502948325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	कुसमावती देवी पति- स्व0 सुरेद्र नाथ राय ग्राम- धरमपुर पो0- सोनहुला थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112503347325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

48	रीता देवी पति- चनर देव पासवान ग्राम- लोहखर वार्ड 11 पो0- हरिबेला थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503552808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
49	चिता देवी यादव पति- परशुराम यादव ग्राम- खीरी वार्ड 07 पो0- पूना कला थाना- परैया जिला- गयाजी सीआर न0- 108112503133007	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	नाजमा खातून पति- अली हैदर ग्राम- एम एम कॉलोनी वार्ड 41 पो0- सिवान थाना- सराय जिला- सिवान सीआर न0- 108112501926638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	मुन्नी राय पिता- राजकिशोर राय ग्राम- रोहुआ थाना- शाहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502699554	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	अर्जुन कुमार पिता- लक्ष्मण साव ग्राम- शाहपुर देवी चौरा वार्ड 05 पो0- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112503516933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	उपेद्र कुमार सिंह पिता- जगनारायण सिंह ग्राम- गोरियर पो0- गोरियर पूरब थाना- टिकापट्टी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112502361898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	सुधीर उरॉव पिता- फूलचद उरॉव ग्राम- नाथपुर वार्ड 02 पो0- नाथपुर थाना- नरपतगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112503258403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	निर्मल कामती पिता- महथी कामती ग्राम- सुखासन वार्ड 03 पो0- मनहरा सुखासन थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503122234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	पडी देवी पति- रामाश्रय साव ग्राम- कपसिया वार्ड 13 पो0- कपरिया थाना- परैया जिला- गयाजी सीआर न0- 108112503389991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	खुरखुर साह पिता- महेन्द्र साह ग्राम+पो0- बैरो थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112502891404	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	लक्ष्मी देवी पति- धमेदर पासवान ग्राम+पो0- बखरी सुपायन थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502829288	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	चद्रमणि राय पिता- पंडित राय ग्राम- रचियाही नया टोला पो0- रचियाही थाना- मटीहानी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502731041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	कमला देवी पति- दुलेश्वर सिंह ग्राम- कवई वार्ड 05 पो0- सेमरी थाना- दावत जिला- रोहतास सीआर न0- 108112503471310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	रजीत बिन्द पिता- योगेन्द्र बिन्द ग्राम- नरवा पो0- जमुई थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना सीआर न0- 108112503236191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	द्वोपदी देवी पति- रामसकल पासवान ग्राम- मथुरापुर वार्ड 10 पो0- मथुरापुर थाना- खगडिया जिला- खगडिया सीआर न0- 108112501944628	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	सुनील चौधरी पिता- तुलसी चौधरी ग्राम- चकथा बालूपर पो0- चमथा दोटरखुट थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403535922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	किरण कुमारी पति- अमरेद्र कुमार ग्राम- रामपट्ट वार्ड 07 पो0- रामपट्टी थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500713380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सुमित्रा देवी पिता- यदुवश सिंह ग्राम- शिवनगर वार्ड 03 पो0- संस्कृत निर्मली थाना- बलुआ जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300091945	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	रामप्रवेश राय पिता- भिमीरी राय ग्राम+पो0- जलालपुर थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500401531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	रीता देवी पति- जयकुमार सिंह ग्राम- गोरगामा वार्ड 08 पो0+थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर नं0- 108112503435982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	कालो देवी पति- बंगाली पासवान ग्राम- फरियातडीह पो0- कियाजोरी थाना- चकाई जिला- जमुई सीआर न0- 108112503320389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

69	नारायण साहनी पिता- मुनशी साहनी ग्राम- खोरगाछ जलखरीद पो0- पररिया थाना- सिकटी जिला- अररिया सीआर न0- 108112400836301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	मो0 सुलेमान पिता- मो0 हाफिज ग्राम- नवादा वार्ड 08 पो0- नवादा थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112503500247	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	मीरा देवी पति- चद्रशेखर साह ग्राम+पो0+थाना- मथुरापुर जिला- समसतीपुर सीआर न0- 108112503382813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	शकुतला देवी पति- टुनु साह ग्राम- बेदौली वार्ड 01 पो0+थाना- लालगंज जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300677877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	गीता देवी पति- सोहन पासवान ग्राम- बिदुपुर डीह वार्ड 09 पो0+थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300295478	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	लड्डू सहनी पिता- शिव सहनी ग्राम- पुरैनी वार्ड 09 पो0+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112502893776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	तेतरी देवी पति- कुलदीप पासवान ग्राम- सिरपत पर वार्ड 04 पो0- खालसा ढिबरी थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा सीआर न0- 108112503094494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

76	सहदेव मेहता पिता- महंथी मेहता ग्राम- जहलीपट्टी पो0- देवीपुर थाना- राघोपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112503307765	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	मोजिबुन नेशा पति- हाफिज अबुल हसन ग्राम- हरिहस वार्ड 09 पो0- हरिहस थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर न0- 108112501972803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	चदा कुमारी पति- बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- पोखरैरा वार्ड 11 पो0- गिद्धा थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112500651406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	आशा देवी पति- सजय यादव ग्राम- बली वार्ड 02 पो0- सिजोरी थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई सीआर न0- 108112503082046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	झगरू मडल पिता- उगन मडल ग्राम- जमुआ वार्ड 07 पो0- जमुआ थाना- ताराबाडी जिला- अररिया सीआर नं0- 108112503421428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मो0 सोइब पिता- शेख तरस्लीम ग्राम- लखनारे वार्ड 04 पो0- तरौना थाना- जलालगढ जिल्हा- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112502646451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	नसीब यादव पिता- लाल बाबू यादव ग्राम- चकरहिमा वार्ड 10 पो0- जैतिया थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर न0- 108112501772134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

83	हरिनारायण मडल पिता- फणीलाल यादव ग्राम- मतनाजा वार्ड 01 पो0- मतनाजा थाना- भर्राही जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112502905944	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	जवाहर यादव पिता- अवध यादव ग्राम- सिंदुरिया टोला वार्ड 13 पो0- हथिऔधा थाना- बिहारीगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503062436	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	अकित कुमार पिता- सतोष सहनी ग्राम- मेढगौतम पो0- धतवाना थाना- थावे जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112503566981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	राम देव बेयार पिता- रामचद्र बेयार ग्राम- साहरघाट वार्ड 07 पो0+थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112503249196	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	शम्भू शरण दास पिता- स्व0 बालेश्वर दास ग्राम+पो0- कल्याणपुर थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503457228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	सुनीता देवी पति- नितेश साह ग्राम- खम्हिया पो0+थाना- इनरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112402855133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	अनन्या कुमारी पिता- अमित कुमार ग्राम- शाहमिया रोहुआ वार्ड 05 पो0- सहथा थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503464313	कोकलियर इम्प्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

90	रामानन्द प्रसाद पिता- परमेश्वर प्रसाद ग्राम- ररहा पो0- राष्ट्रनगर थाना- धनरूआ जिला- पटना सीआर न0- 108112501419213	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
91	राम प्रताप पासवान पिता- सव0 सुकर पासवान ग्राम- रेहियाँ पो0- सोवन थाना- कृष्णब्रहम जिला- बक्सर सीआर न0- 108112503211652	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
92	मीरा देवी पति- नवल किशोर प्रसाद ग्राम- फतेहपुर पो0- सिहारी थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108122401468179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	चन्द्रमा देवी पति- रामचन्द्र राय ग्राम- करारिया बैरागी टोला वार्ड 04 पो0- करारिया थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112502760512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	अजित कुमार गुप्ता पिता- धर्मनाथ प्रसाद ग्राम- कनहौली सग्राम वार्ड 14 पो0+थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500115296	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	रीता देवी पति- योगेंद्र महतो ग्राम- लक्ष्मीपुर वार्ड 12 पो0- पुरैना थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112502885439	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	सुनीला देवी पति- विजय कुमार राय ग्राम- लगमा पो0- बहादुरपुर थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300341691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

97	करन यादव पिता-उत्तम कुमार ग्राम-शास्त्री नगर रोड न0-2 पो0-मुगेर थाना-कासिम बाजार जिला-मुगेर सीआरन0-108112502353321	ड्रामा	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
			82,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 82,05,000/- (बेरासी लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालुबैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 87(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002556... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/11/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा० लि०,  
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र पासवान पिता- यदु पासवान ग्राम- गौसगज वार्ड 02 पो०- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शकर राय पिता- मोहन राय ग्राम- श्रीसियाँ पो०- श्रीसियाँ बुजुर्ग थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कुमारी स्मिता पति- शम्भू प्रसाद ग्राम- रफल्म्ब वड्ड 01 पो०- भोक्किलापरथाना- हिलसा जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सीमा देवी पति- अनिल प्रसाद ग्राम- भगवानपुर हाट वार्ड 07 पो०+थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	मो० समी उल्लाह पिता- स्व० अब्दुल वहीद ग्राम- मोहम्मदी चक पो०- ताजपुर थाना- बगरा जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	रमेश कुमार पिता- केदार सिंह ग्राम- मोसादपुर वार्ड 08 पो0- तिलरथ थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	शिव कुमार सिंह पिता- महावीर सिंह ग्राम- खरैता वार्ड 13 पो0+थाना- चौथम जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	जितेद्र शर्मा पिता- राजेंद्र शर्मा ग्राम- गनियारी पो0- परियारी थाना- किजर जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	पुष्पा देवी पति- मणि कुमार ग्राम- अलौली वार्ड 10 पो0+थाना- अलौली जिला- खगडिया	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	बशिष्ठ ठाकुर पिता- लालबहादुर ठाकुर ग्राम- रामपुर पो0- सदौवा थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	नागेन्द्र सिंह पिता- श्रीकांत सिंह ग्राम- कर्मा भोजपुर बसन्तपुर पो0- बसनतपुर थाना- आरा जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	हरजीत कौर पति- हरजीत सिंह ग्राम- लगूर गली चकडोरिया वार्ड 66 पो0- झाउगज थाना- चौक जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	विश्वविजय कुमार सिंह पिता- विशेश्वर सिंह ग्राम- पभेडा वार्ड 07 पो0- पभेडा थाना- धरुआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

14	शकील पिता- मो० शकूर ग्राम- खोदा नगर वार्ड 13 पो०- मोतीहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	धनजय कुमार पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम+पो०- मोर थाना- मोकामा जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	मजू देवी पति- नागेंद्र सिंह ग्राम+पो०- रामपुर कला थाना- खैरा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			15,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,40,000/- (पन्द्रह लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लियो कंकडबाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकडबाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/11/2026

ज्ञापाक 38(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 0.0.2.5.5.6.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	किरण सिन्हा पति- अजय कुमार ग्राम- मिल्कीपर वार्ड 11 पो0- छोटकीअकौना थाना- घाषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2	भूडू पिता- मक्कू खां ग्राम- पहाडपुर पो0- पानीकमला थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार	Colonic Pull UP	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सायेरा खातून पति- इदरीश ग्राम- पीपल टोला पो0- पाटकोई हाट थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अकाश कुमार पिता- रधीर कुमार ग्राम- सरारी पो0- करन्जा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	Mager Bran Surgery	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	ममता देवी पति- सजय कुमार साह ग्राम- कलाली चौक वार्ड 03 पो0+थाना- सबौर जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
			3,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 89(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002556 ...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
राजेश्वर अस्पताल,  
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,  
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक .....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लिली कुमारी पति- राजीव कुमार ग्राम- तुलसी मडल गुलजारबाग वार्ड 57 पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	नागेश्वर साह पिता- नरेश साह ग्राम- कोईनधापो0- सिंहनन थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जमसीदा पति- जहांगीर ग्राम- दरहा वार्ड 09 पो0- मोहम्मदिया थाना- डगरूआ जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रशीदा खातुन पति-मो0 यासिन कुरैशी ग्राम-पुरंदरपुर देवी स्थान बी0 एम0 दास रोड, पो0-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 3,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन



ह0/-

(डा0 श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 90(16)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
पारस एच0एम0आर आई0 अस्पताल,  
राजाबाजार,  
पटना- 800014

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चिंता देवी पति- चितरजन सिंह ग्राम- करूप पो0- बभनी थाना- करगहर जिला- राहतास यूएचआईडी नं0- 3000614850	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रजीता कुमारी पति- रणवीर यादव ग्राम- अलौली वार्ड 10 पो0+थाना- अलौली जिला- खगडिया यूएचआईडी नं0- 3000610545	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	कौशल किशोर यादव पिता- महेंद्र प्रसाद यादव ग्राम- बलहा पो0- गढिया थाना- बनगांव जिला- सहरसा यूएचआईडी नं0- 3000615998	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	संतोष कुमार सिंह पिता- जगनारायण सिंह ग्राम- खैरा वार्ड 06 पो0- सदुरी कर्मा थाना- नरारी कला खुर्द जिला- औरंगाबाद यूएचआईडी नं0- 3000612663	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सजीत कुमार पिता- वशिष्ठ सिंह ग्राम- कपरपुरा पो0- छपरा धरमपुर यदु थाना- कॉटी जिला- मुजफ्फरपुर रजि न0- 3000610752	गुर्दा प्रत्यारोन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	नसरीन प्रवीण पिता- मोहम्मद अल्लाउद्दीन ग्राम- दरगाह रोड कर्बला शेक टोली सुल्तानगज पटना पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000595771	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			6,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,90,000/- (छः लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1649826000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 91(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...002556...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

10

11

सं० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
CISRO Hospital,  
सगुना मोड, दानापुर,  
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार गुप्ता पिता- दिलीप साह ग्राम+पो०+थाना- चडी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शारदा देवी पति- सर्वदेव राय ग्राम- सोहनीपट्टी पो०- बक्सर थाना- मोडल जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सतोष मुखिया पिता- बच्चे लाल मुखिया ग्राम+पो०- सिधपकला थाना- लदनियों जिला- मधुबनी	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	यशोदा देवी पति- उमेश प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम- वेसट बेली रोड इन्फ्रान्ट ज्ञान निकेतन स्कूल पो०- दानापुर कैट थाना- रूपसपुर जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
5	प्रीतम साह पिता- मुन्नी लाल साह ग्राम+पो०- बढैया थाना- मीरगंज जिला- गोपालगंज	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

6	ललिता देवी पति- लाल बहादुर साह ग्राम+पो0+थाना- बडहरी जिला- रोहतास	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	प्रमोद कुमार सिंह पिता- स्व0 राम बहादुर सिंह ग्राम- लगुराव पो0- डुमरी थाना- महुआ जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	धीरज प्रसाद मडल पिता- हरे कृष्ण मडल ग्राम- शिवरामा पो0- रजौर रामभद्रपुर थाना- शिवाजीनगर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	ललिता देवी पति-अमिर चन्द रमानी ग्राम+पो0-निपनिया थाना-सरसी जिला-पूर्णिया	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	राजेन्द्र महतो पिता-जाटा महतो ग्राम+पो0-सुतिहार थाना-डेरनी जिला-सारण	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	राज किशोर शर्मा पिता-बबन शर्मा ग्राम-कुशही पोस्ट+थाना-करगहर जिला-रोहतास	ट्रामा	95,000	पनचानवे हजार स्वीकृत।
			12,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,25,000/- (बारह लाख पच्चीस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000556...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्रांड उड पलौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/11/26

ज्ञापांक 92 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 012556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2016  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
रुबन मेमोरियल अस्पताल,  
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,  
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,  
पटना-800013

पटना, दिनांक. ....

विषय- मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।  
महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवीन कुमार पाठक पिता- शिवकुमार पाठक ग्राम- देव वार्ड 11 पो0- देव थाना- सिकरहट्टा जिला- भोजपुर	Right PCNL+DJ Stenting	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			25,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 25,000/- (पच्चीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 93(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 0028556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक,  
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,  
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.. ....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	छोटू कुमार पिता- अवधेश सिंह ग्राम- जमुनापुर वार्ड 12 पो०- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मीना देवी पति- दिनेश कुमार राय ग्राम- आशोचक पो०- मनोहरपुर कछुआरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	आरती देवी पति- सन्तु कुमार ग्राम- महथ मनियारी पो०- सिलौट थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर	Nephrectomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	कुंदन कुमार पिता- स्व० गोबर्धन कुमार ग्राम- बिगृहपुर बस स्टैंड रोड पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	हिमाशु कुमार पिता- कमलदेव नारायण ग्राम- सुपौल पो0+थाना- नेमदारगज जिला- नवादा	हृदय रोग एवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
6	राम बालक निराला पिता- सुखदेव यादव ग्राम+पो0- धरहा थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	शताक्षी मिश्रा पिता- धर्मेन्द्र कुमार ग्राम- पशुरामपुर पो0- मौरी थाना- खानपुर खीडी मोड जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
8	किशोरी देवी पति- स्व0 भवन साह ग्राम+पो0- भोरिया थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
9	डौली कुमारी पिता- मिथलेश प्रसाद ग्राम- सकरपुरा पो0- भोभी थाना- नगरनौसा जिला- नालंदा	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			9,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 ... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्य देश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 94(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
श्री साईं हौस्पिटल  
(हार्ट युनिट) ई०-143  
साउथ मलाही पकड़ी चौक  
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अब्दुल रहमान कुरैसी पिता— मो० अली कुरैसी ग्राम— दरगाह रोड तेरहे की मस्जिद वार्ड 50 पो०— महेन्द्र थाना— सुल्तानगज जिला— पटना	EPS+RFA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002956 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

- कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
  6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
  7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 95(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.8.5.5.6 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
श्री साई अस्पताल कंकडबाग  
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज  
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक ..... . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जज कुमार पिता- सूर्यदेव राय ग्राम- लाल पोखर दिग्धी कला पो०- दिग्धी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	Laprosopic Diaphramatic Hernia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	चचल कुमारी पिता- महेन्द्र ठाकुर ग्राम-सुदाडिह पो०- इटवा थाना- धरहरा जिला- मुंगेर	Ovarian Cystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	मीना सिंह पति- रामजनम सिंह ग्राम- संत लूयिस स्कूल लाल बाबू मार्केट शस्त्री नगर पो०+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,60,000	

2. उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का

प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 96(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/11/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बृद्धा कैसर सेंटर,  
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,  
रूपसपुर, बेली रोड  
पटना-801503

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० जाकिर हुसैन पिता- शेख मोहिउद्दीन ग्राम+पो०- बसवरिया थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	अजय सिंह पिता- जगदेव सिंह ग्राम- परिहार पो०- गैनी थाना- खुदावा जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	दीपा कुमारी पति- सोनू कुमार ग्राम- नया गांव डंका इमली वार्ड 53 पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सहनवाज मसूर पिता- अख्तर मसूर ग्राम- कादराबाद वार्ड 04 पो०- कादराबाद थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	लक्ष्मी देवी पति- मिथिलेश कुमार ग्राम- मथुरा वार्ड 09 पो0- मथुरा थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बेवी देवी पति- बिश्वनाथ सिंह ग्राम- धनौती के टोला वार्ड 07 पो0+थाना- धनौती जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सोगैरा खातून पति- सत्तार मिया ग्राम- चानीडीह वार्ड 05 पो0- सोनवाल थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	रमावती देवी पति- सिगाशन साह ग्राम- सेमरा वार्ड 05 पो0- थावे थाना- गोपालगंज जिला- गोपालगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रीता देवी पति- कुदन कुमार ग्राम- सबलपुर वार्ड 02 पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	जगदीश शर्मा पिता- कनकीर शर्मा ग्राम- जरौली वार्ड 16 पो0- रतौली थाना- पिपरा जिला- सुपौल	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
11	निर्मल कुमार पिता- विष्णुदेव राय ग्राम- पकरिया वार्ड 19 पो0+थाना- उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	मो0 हकिम असारी पिता- इसहाक मिया ग्राम- बुरहवन वार्ड 04 पो0- बुढवल थाना- काराकाट जिला- रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

13	कैलाश मेहता पिता- बनारसी मेहता ग्राम- डुमरा दिरा टोला वार्ड 01 पो0- डुमरा थाना- अकबरपुर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	वीरेदर राय पिता- जटी राय ग्राम- ब्रह्मपुर पो0- छपरा थाना- भगवान बाजार जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	इन्दु देवी पति- अशोक साह ग्राम- सुपौल वार्ड 02 पो0- दधिअ असाधार थाना- अगारघाट जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	रामदुलारी देवी पति- शत्रुधन माझी ग्राम- हसनपुर वार्ड 05 पो0- कपछाही थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शकीला खातून पति- सुबहान राइन ग्राम+पो0- मोरसराय थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	साकेबा बेगम पति- अब्दुल कादीर ग्राम- गच्छगरैया वार्ड 04 पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
19	विना पाठक पति- शशिकात पाठक ग्राम- माधोपट्टी वार्ड 05 पो0- माधोपट्टी थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	राम रती देवी पति- बाजो यादव ग्राम- कटहरा वार्ड 01 पो0- कटहरा थाना- सुलतानगज जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	जैनुद्दीन पिता- जौहर अली ग्राम- कादोगांव वार्ड 09 पो0- बीबी भरतपुर थाना- सुखानी जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	नसीम अहमद पिता- महजरूल हक मियां ग्राम- मोहम्मदपुर वार्ड 08 पो0+थाना- पंचरूखी जिला- सिवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	रत्ना सिन्हा पति- अभय प्रसाद सिन्हा ग्राम- रामबाग चौरी वार्ड 46 पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			16,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ०१२५५६ ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 97(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलमन चेक सं० 002556 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आर्. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/1/26  
निदेशक प्रमुख



सं० सं०- 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
मलाही पकड़ी, कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक..... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम दय सहनी पिता- शशि धन सहनी ग्राम- कुरहर वार्ड 14 पो०- धाधी थाना- नानपुर जिला- सीतामढी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मीरा देवी पति- नित्या नन्द सिंह ग्राम- कमलनगर वार्ड 50 पो०- मिरजानहाट थाना- बबरगंज जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	कुसुम देवी पति- त्रिवेणी प्रसाद सिंह ग्राम- टेंगराहा पो०- भटौनी थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	संगीता देवी पति- आनद मोहन सिंह ग्राम+पो०- नवगाई थाना- संग्रामपुर जिला- मुंगेर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 98(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002556...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका—2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
निदेशक

डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड  
पटना -801503

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजकुमारी देवी पति- नेमीचन्द्र कुमार ग्राम- सुल्तानपुर त्रिमुर्तिनगर पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Hysterectomy (NDVH)+BSO	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	महेश राय पिता- कृष्णा राय ग्राम+पो0- माधोपुर थाना- मनेर जिला- पटना	Open Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	तेतरी देवी पति- स्व0 बृजमोहन राय ग्राम- छीतनावां पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	Vaginal Hyserectomy (NDVH)+ BSO	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सरोज देवी पति-दुर्गेश चौधरी ग्राम-लकारी पोस्ट+थाना कोचस जिला-रोहतास	Hernioplasty + Mesh	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,40,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 . ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-

442820110000158 खाता धारक का नाम—DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार—800001 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004428 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 99(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002556..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका—2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल  
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस  
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक .. .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सविता देवी पति- रामेश्वर सिंह ग्राम+पो०- बांक थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रमेश चौधरी पिता- गगा चौधरी ग्राम- मरीचा वार्ड 13 पो०- खरैल थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कृष्णा प्रसाद पिता- विश्वनाथ प्रसाद ग्राम- भेलवा पो०+थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण	टोटल नी रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			<b>2,80,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबन्धित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 100(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...02556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,  
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,  
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक . . . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गीता देवी पति- भोली कुमार ग्राम- राजन बिगहा पो0- प्रतापपुर थाना- चडी जिला- नालदा	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	हिमला देवी पति- स्व0 उपेन्द्र सिंह ग्राम- चकयाज पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	चम्पा देवी पति- स्व0 बासुदेव चौधरी ग्राम- बेलवर गंज डबगर टोली पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	ऋषि कुमार पिता- राज कुमार चौधरी ग्राम- टेकारी रोड पत्थर की मस्जिद पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	सच्चिदानन्द प्रसाद सिंह पिता- द्वारिका प्रसाद ग्राम- दावा बिगहा पो0- एकगर डीह थाना- एकंगर साराय जिला- नालंदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

6	चुमन चौधरी पिता- लाल पहाडी चौधरी ग्राम+पो0- नरईपुर थाना- पटखौली जिला- पश्चिम चम्पारण	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 0.02.5.56 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/11/2026

ज्ञापाक 101(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 0.02.5.56 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,  
एडं रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैंम्पस,  
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक ..... ..

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गणेश सहनी पिता- जवाहर सहनी ग्राम- हरपुर लाहौरी पो०- एमआईटी थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/006650	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	मो० असद पिता- मकसूद ग्राम- झब्बन मोमिन लेन हसबबाद पो०- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 11एफ2025/005490	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	तलअत वेगम पति- मो० जुल्फेकार अली ग्राम- मालती थाना- भगवानपुर देसुआ थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/002535	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सुभाष कुमार पिता- नरेश महतो ग्राम+पो०- पदमौल थाना- कुढजी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/005914	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	जीबश कुमार पिता- भोला पंडित ग्राम- मुसेचक पो0- लक्ष्मीनिया थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2025/003216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	राज कुमारी देवी पति- बलिन्द्र राय ग्राम+पो0- शिवदासपुर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/004398	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 सुफरान पिता- मो0 नौशाद ग्राम- पाली उत्तरवारी टोल पो0- बसैठ थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2025/006682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सिकू देवी पति- सुधीर राय ग्राम- इमादपुर पो0- परस्ता रा थाना- बलिगाव जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/006816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बृजेश कुमार पिता- राजेद्र प्रसाद ग्राम- योगी बिगहा पो0- जी0पी0ओ0 थाना- पीरबिघा जिला- नालदा केस फाईल न0- 11एफ2024/024622	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	सहनाज खातून पति- मो0 आजाद ग्राम- हरपुर लौहरी पो0- एम आई टी थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2023/004134	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			6,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छ: लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No-

59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल,एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 102(14)

पटना, दिनाक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 001556 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)  
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,  
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **09.01.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता- सतेन्द्र कुमार ग्राम- बडीहा पो०- रानीपरती थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-00030400000914 खाता धारक का नाम- "Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बडौदा, शाखा का नाम पटना में ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों

को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 103(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 022556... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/11/26  
निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital  
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,  
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,  
Patna - 800020

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	शिला देवी पति- लालबाबू प्रसाद ग्राम- शेखपुरवा पो०- पसौनी कपूर थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 104(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 201556...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)  
बी/29 पत्रकार नगर  
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इनी देवी पति- रणधीर प्रसाद ग्राम- बदरिया गली वार्ड 65 पो०- झाउगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 01082556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम . . .RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 105(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/11/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,  
Plot No. 106/107-B, Road No  
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,  
Patna 800016

पटना, दिनांक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार यादव पिता- राज नारायण राय ग्राम- छीतरचक गंगा पार पो०- खरिका थाना- सोनपुर जिला- सारण	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सजू देवी पति- प्रभात कुमार ग्राम- नव विकाश कॉलानी आशियाना नगर वार्ड 02 पो०+थाना- राजीव नगर जिला- पटना	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सुधीर कुमार वर्मा पिता- राजेश्वरी प्रसाद लाल ग्राम- मालती सदन शास्त्री नगर वार्ड 11 पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,45,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,45,000/- (दो लाख पैतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सब मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 106(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० डी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/11/26  
निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
हाईटेक इमरजेसी अस्पताल  
प्रा० लि०, सगुना मोड,  
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक. ... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जगत भूषण पटेल पिता- कैलाश सिंह पटेल ग्राम- घोरडिहा पो०- श्रीखिण्डा थाना- बघैला जिला- रोहतास	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 2005501735, खाता धारक का नाम- M/s HITECH EMERGENCY HOSPITAL, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- Saguna More Danapur, Patna, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN0284605 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 107(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
Holy Promise Hospital  
(A unit of Holy promise Multispeciality Hospital Pvt. Ltd.),  
East Patel Nagar, Near Gandhi Murti  
Patna- 800023

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रिकू देवी पति- अशोक पाडेय ग्राम- बभनगावा पो0- गुण्डी थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर	TLH Surgery	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002556 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 37191679317, खाता धारक का नाम- **HOLY PROMISE MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD**, खाते का प्रकार- **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स0 **SBIN0018099** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरों के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 108(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/1/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
बी०एस०एल, आई केयर,  
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2  
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक .. .

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **09.01.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सोधन मोची पिता- मीतु मोची ग्राम- निसरपुर पो०- शेखपुरा थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	राजमती देवी पति- रामप्रसाद सिंह ग्राम- निसरपुर पो०- शेखपुरा थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	महेश्वरी देवी पति- खदेरन चौधरी ग्राम- धनुकी पो०- सकरैचा थाना- जानीपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शिव चौधरी पिता- खेमचंद चौधरी ग्राम- धनुकी पो०- सकरैचा थाना- जानीपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	साधू राम पिता- गोधन राम ग्राम- निसरपुर पो0-शेखपुरा थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	शिव नाथ महतो पिता- हरिचरण महतो ग्राम- सैदपुर पो0- रहिमपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुभाष प्रसाद पिता- सोमनाथ प्रसाद ग्राम- धनुकी पो0- सकरैचा थाना- जानीपुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	नौलखिया देवी पति- शिव प्रसाद पासवान ग्राम+पो0- बेलखारा थाना- करपी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	गीता देवी पति- विरेन्द्र यादव ग्राम-बेलखाराखास पो0- बेलखरा थाना- करपी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	दुलरिया देवी पति- नन्हक पडित ग्राम+पो0- बेलखरा थाना- करपी जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सतपतिया देवी पति- राम नाथ राय ग्राम- सबलपुर चाईटोला पो0- बभनटोली थाना- सोनपुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सविता देवी पति- बीरेद्र कुमार ग्राम- हसनपुरा पो0- करवा थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	सजय कुमार पिता- शम्भू नाथ ग्राम- ईस्ट लोहानीपुर पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	मो0 जलालुद्दीन असारी पिता- जीमरुद्दीन असारी ग्राम- मनेरिबिगहा पो0- उसरीबाजार थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	जगनारायण यादव पिता- रामजनम यादव ग्राम+पो0- कसाप थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	सुथरी देवी पति-जगदीश राय ग्राम-शंकरपुरा पो0-गगहरा थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	कृपाल राय पिता-गुलजार राय ग्राम-हबसपुर पोस्ट-गघारा थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सिमरीखिया देवी पति-सकलदेव महतो ग्राम-गगहारा पो0-गगहारा थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	मोहरजीया देवी पति-असरफी महतो ग्राम-गंगहारा पो0-गगहारा थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	भरत महतो पिता-रमिश्वर महतो ग्राम-गगहारा पो0-गगहारा थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

21	अर्चना देवी पति-चदीप राय ग्राम-गगहारा पो0-गगहारा थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	हरदेव मिश्रा पिता-इकबाल ग्राम-समनपुर पोस्ट-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	भागीरथ माझी पिता-रामानंद माझी ग्राम-हसनपुरा पो0-फुलवारीशरीफ थाना-जानीपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	इन्द्रदेव महतो पिता-राम टहल महतो ग्राम-रैन टोला पो0-नेउरा थाना-बिहटा जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	ललिता देवी पति-राज कुमार ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	पागल महतो पिता-जय मोहन महतो ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	नेपाली चौधरी पिता-दीघा चौधरी ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	मजु देवी पति-वीर भदुर सिंह ग्राम-जहानपुर टोला सलेमपुर पोस्ट-जोकटा थाना-चादी जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	राम ईश्वर पासवान पिता-सीता राम पासवान ग्राम-सुमेरा पो0-परासी थाना-परासी जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	रामचन्द्र मल्लाह पिता-नेतलाल चौधरी ग्राम-परासी पोस्ट+थाना-परासी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	सूर्यमणी कुवर पिता-जय नारायण चौधरी ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	लक्ष्मीना देवी पति-कर्म चौधरी ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	उर्मिला देवी पति-रामकेशर दास ग्राम+पोस्ट-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	सुनील देवी पति-सुलेन्द्र चौधरी ग्राम+पोस्ट-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	भवसागर चौधरी पिता-रामअरतार चौधरी ग्राम+पोस्ट-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	विदेश्वर यादव पिता-स्व0 देवकी यादव ग्राम-पिजरावन टोला पो0-पिजवारा थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	इदल माझी पिता-बालेश्वर माझी ग्राम+पो0-सेवन्न थाना-कडौना जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	मरती देवी पति-जयराम पासवान ग्राम-जीत बीगहा पोस्ट-खमहैनी थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

39	शिवमनी देवी पति-दिनेश राम ग्राम-कुरकुरी पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
40	कृष्णा राम पिता-तेतर दास ग्राम+पो0-इंजोर थाना-मेहदिया जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	पछिया देवी पति-योगेन्द्र माझी ग्राम-जगदेवपथ पो0-बी0 भी0 कालेज थाना-हवाई अडडा जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	राज कुमारी देवी पति-राम सुभाष राम ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	लालमन्ती देवी पति-श्रवण माझी ग्राम-गोसाई टोला पो0+थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 109(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 008556 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
15/1/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,  
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	लीला देवी पति- कैलाश राय ग्राम+पो०- बालीगढ थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	बाली पासवान पिता- रिझान पासवान ग्राम+पो०- टिकौली थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	इद्रकला देवी पति- सोय साह ग्राम+पो०- टिकौली थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	राजेद्र माझी पिता- परेखा माझी ग्राम- मलमला पो०- बाघरी थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	नथुनी पडित पिता- सरयुग पडित ग्राम- दयानगर पो०- पचनौर थाना- बेलसड जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लालपरी देवी पति- रामनन्दन माझी ग्राम+पो0+थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	देवसुन्दर देवी पति- रामजी ठाकुर ग्राम- चदौली पो0- बेलसड थाना- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	बनौजीया देवी पति- गोपी राय ग्राम- कल्याणपुर पो0- चदवारा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	दुखिया देवी पति- राजनन्दन साह ग्राम- कल्याणपुर पो0- चदवादा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	राम सखी पति- सुरत राय ग्राम- कल्याणपुर पो0- चदवारा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	मो0 अख्तर पिता- अमजाद ग्राम- चकदोनाई पो0+थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	राजदेव राय पिता- हितलाल राय ग्राम+पो0- भरथुआ थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	राम देव महतो पिता- सोफी महतो ग्राम- फतेहपुर बरौना पो0+थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	जमीला खातून पति- खोभारी खान ग्राम+पो0+थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

15	सुरेश महतो पिता- बैधनाथ महतो ग्राम- सरहाचिया पो0+थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	सुहागनी देवी पति-जगदीश चौधरी ग्राम-रेडीया पोस्ट-डोईया थाना-कोचस जिला-रोहतास	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	विलाश राय पिता-मडई राय ग्राम-पचनौर पो0-पचनौर थाना-बेलसड जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	उर्मिला देवी पति-नागेन्द्र ठाकुर ग्राम-बघारी पो0-बघारी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	राम सेवक राय पिता-अशर्फी राय ग्राम-मनोरथी पो0-बघारी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	विलाश शाह पिता-विलट शाह ग्राम-टिकौली पो0-टिकौली थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	सौनावती देवी पति-राम अनेक मिश्रा ग्राम-कमलाबारी पोस्ट-दमला थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	उपेन्द्र सहनी पिता-लखन सहनी ग्राम-कमलाबारी पोस्ट-दमला थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	हिरदय मडल पिता-महेन्द मडल ग्राम-कमलाबारी पोस्ट-दमला थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	नन्दुन मडल पिता-चलितर मडल ग्राम-कमलाबारी पोस्ट-दमला थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	दिनेश सहनी पिता-दुलारचन सहनी ग्राम-कमलाबारी पोस्ट-दामला थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	सुरजन देवी पति-चदेश्वर दास ग्राम+पो0-बघेरी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	मो0 मुजफ्फर आलम पिता-शेख रहिम ग्राम+पोस्ट-टिकैली थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	राम बाबु प्रसाद यादव पिता-योगेन्द्र यादव ग्राम+पोस्ट-टिकैली थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	उर्मिला देवी पति-लाल सवेक राय ग्राम-मनोरथी पो0-बघारी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	बसमतिया देवी पिता-मिटु ठाकुर ग्राम मनोरथी पोस्ट-बघारी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	सुजिंदर राय पिता-शोभित राय ग्राम-टोला भरवाडी पोस्ट-चंदौली थाना-बेलसड जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

32	रविन्द्र साव पिता-बिटेश्वर साव ग्राम-हल्दि छपडा नया टोला, पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	चौद गोविन्द राय पिता-हरहर राय ग्राम-हल्दी छपरा बादल टोला पोस्ट+थाना मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	प्रतिमा देवी पिता-इद्रमल राय ग्राम-हल्दी छपरा बादल टोला पोस्ट+थाना मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	सावित्री देवी पति-शम्भु राय ग्राम-हल्दी छपरा पोस्ट+थाना मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	सतरोहन राय पिता-मुनेश्वर राय ग्राम-राम नगर हल्दि छपरा पो0+थाना-मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	सावित्री देवी पति-श्री नाथ दुबे ग्राम-बाबा नगर बक्सर पोस्ट-बक्सर थाना मुफसिल जिला-बक्सर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	उर्मिला देवी पति-सुरदिर्शन रवि ग्राम+पो0-गडिहारा थाना-मसौडी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	झुलिया देवी पति-सियाराम पासवान ग्राम-गडिहारा पो0-गडिहारा थाना मसौडी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
40	निरजन कुमार पिता-मुसाफिर रविदास ग्राम-गाडिहारा पोस्ट-गाडिहारा थाना-मसौडी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

41	सिनेश रविदास पिता-चुल्हन रविदास ग्राम-गडिहारा पो0-गडिहारा थाना-मसौडी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	लवलीन साह पिता-अबिर चंद्र साह ग्राम-फेनहारा पोस्ट-अमरदह थाना-तरैया जिला-सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	हेमती देवी पति-परमानन्द गिरि ग्राम+पो0-पभेरा थाना-धनरूआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	कृष्ण कुमार पिता-नगिना प्रसाद ग्राम+पो0-पैनथी थाना-बिहटा जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	मो0 अबरार अहमद पिता-हबीबुर रहमान ग्राम+पो0-हजरत साईं थाना-धनरूआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	धरोहरी देवी पति-फुदनी भगत ग्राम+पो0-अथरी थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
47	प्रविला देवी पति-संतोष कुमार ग्राम-चकसजी पोस्ट-दाहाबिगहा थाना-हिलसा जिला नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
48	धनपतिया देवी पति-सवरू राय ग्राम-नागा टोला गोरीया स्थान पोस्ट-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	रामझरी देवी पति-लोटन राय ग्राम-जीवराखन टोला दरबेशपुर, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

50	जाबा यादव पिता-मोजम यादव ग्राम-निलकठ टोला गौरैया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
51	देव कुमार पिता-बसत लाल ग्राम-गोरा बाजार पो0-दानापुर थाना-दानापुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
52	नन्द किशोर सिंह पिता-सहदेव सिंह ग्राम-चौरासी पोस्ट-पतिला थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
53	हरिचरन राय पिता-दीन दयाल राय ग्राम-चौरासी पो0-पतिला थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
54	गायत्री देवी पति-रामचद्र प्रसाद ग्राम-ईशापुर मुर्गिया टोला पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
55	जयमन्ती देवी पति-महेन्द्र सिंह ग्राम-अबदलपुर पो0-सुल्तानपुर थाना-फतुहा जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
56	विजेन्द्र प्रसाद पिता-सकलदीप प्रसाद ग्राम-हजरत साई पो0-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
57	पहलाद राय पिता-सियानाथ राय ग्राम-निलकठ टोला गौरैया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

58	आशा देवी पति-सुरेश राय ग्राम-मोलानीपुर पो0 सादिकपुर थाना मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
59	उमा देवी पति-कपिलदेव राय ग्राम-महिनावा पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
60	मुन्नी खातुन पति-हाकु मिया ग्राम-रोहाई पो0-बरनाथु थाना-करपी जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
61	मो0 अजीम असारी पिता-मो0 नासिम असारी ग्राम+पो-पिपलावा थाना मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			6,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,10,000/- (छः लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 0025576 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।  
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 110(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 202556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

  
18/11/26  
निदेशक प्रमुख



अनिश्चितता की संभावना रहती है; उक्त मामले में निम्न अनिश्चितता नहीं हो सुनिश्चित की जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 111(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

श्री साईं लायन्स नेत्रालय  
बी०/144, पी०सी० कालोनी  
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक 16/11/2026

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्द्रदेव रविदास पिता— स्व० विशुनी रविदास ग्राम— वाजीतपुर पो०+थाना— चिकसौरा जिला— नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	राम उदय शर्मा पिता— कामता शर्मा ग्राम+पो०+थाना— मेन जिला— गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	कवल देवी पति— रामेश्वर पाठक ग्राम+पो०+थाना— ईटाढी जिला— बक्सर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शकीला खातून पति— लाल मोहम्मद ग्राम— फौलादपुर पो०— रतनी बाजार थाना— शकुराबाद जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	सूयमणि देवी पति— रामानंद सिंह ग्राम— कन्दार पो०— सागरपुर थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	बनबारी यादव पिता- लाल दास यादव ग्राम- गोसाई मठ पो0+थाना- हिलसा जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	चमेली देवी पिता- ढोल महतो ग्राम+पो0- धरमा थाना- बेलागज जिला- गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	रामानंद सिंह पिता- सूबा सिंह ग्राम- दयाल चक पो0- रतनी बाजार थाना- शकुमराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	नंदकिशोर सिंह पिता- नरसिंह सिंह ग्राम- दयालचक पो0- रजनी बाजार थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मोहन माझी पिता- रामसरन माझी ग्राम+पो0+थाना- मऊ जिला- गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सुभाष राम पिता- छोटू राम ग्राम- भद्र धाट बरी पटन देवी पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 112(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 001556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक सर्जिस,  
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,  
नीयर पासपोर्ट आफिस  
आशियाना दीघा रोड,  
पटना -800014

पटना, दिनाक-

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भारत प्रसाद पिता- राम कुवर सिंह ग्राम- दुल्हनगज पो०- सानिया बरहता थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440030110000048 खाता धारक का नाम-"वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक सर्जिस" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्राच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 113(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,  
आध्या हाईट आशियाना मोड,  
आशियाना दीघा रोड,  
पटना 800025

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 09.01 2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शहनाज प्रवीण पति— मो० रियाज ग्राम— दीघा घाट चौहट्टा गँधी गली पो०— दीघा घाट थाना— दीघा जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	विनोद साव पिता— राजेद्र साव ग्राम— राष्ट्रीय गज पो०+थाना— फुलवारीशरीफ जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मीना देवी पति— अरविन्द सिंह ग्राम— खरडीहा पो०— केताकी थाना— देव जिला— औरंगाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 30,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002556...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200043954418 खाता धारक का नाम— 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— HDFC Bank PVT LTD, शाखा

का नाम— LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFS कोड सं० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 114 (14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 0022556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
**Bright Sight Eye Hospital,**  
**26B Saket, 2<sup>nd</sup> Floor,**  
**Beside Disha Deaddiction Centre,**  
**Patliputra Colony, Patna - 800013**

पटना, दिनांक .. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक– **09.01.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्जुन पंडित पिता– अमर पंडित ग्राम+पो०– दीपनगर थाना– दीपनगर जिला– नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामपरिया देवी पति– सत्यनारायण ग्राम– ननौरा बेलदारी पो०– नूरसराय थाना– नूरसराय जिला– नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सामु देवी पति– सिदेश्वर चौहान ग्राम– ननौरा बेलदारी पो०+थाना– नूरसराय जिला– नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सिद्धेश्वर चौहान पिता– मगल चौहान ग्राम– ननौरा बेलदारी पो०+थाना– नूरसराय जिला– नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रामबाबू चौहान पिता– बीजू चौहान ग्राम– बेलदारी पो०– चारुईपर थाना– नूरसराय जिला– नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	उर्विला देवी पति- नागेश्वर चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	मिश्री रविदास पिता- राम चरण रविदास ग्राम- ठाकुर सीन पो0- नूरसराय थाना- चंडी जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	वच्छया देवी पति- वृजनदन चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	सुमित्रा देवी पति- बलम चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	रामाश्रय चौहान पिता- रामावतार चौहान ग्राम- बेलदारी पो0- चरुईपर थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	रामानन्दन चौहान पिता- दशरथ चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	सारो देवी पति- सुखदेव चौधरी ग्राम- कराह बाजार पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	कृष्णा मांझी पिता- गोविन्द मांझी ग्राम+पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	रेखा देवी पति- सुदर्शन चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

15	सोना पति देवी पति- बच्चु चौहान ग्राम- ननौरा बेलदारी पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	किशोरी चौधरी पिता- दसरथ चौधरी ग्राम- दरिहरा चतुर्भुत पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	सवारो देवी पति- वकील माझी ग्राम- कोनहवा पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	शम्भू ठाकुर पिता- छविला ठाकुर ग्राम+पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	ध्रुवपति देवी पति- स्व0 बालेश्वर सिंह ग्राम+पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	सिया बैठा पिता- रघुनाथ बैठा ग्राम+पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	लखन चौधरी पिता- बुधन चौधरी ग्राम- पेस पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
22	मन्ना देवी पति- शुकर चौहान ग्राम- पेस पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	लारी देवी पति- तिलकधारी चौहान ग्राम- पेस पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

24	सीखा देवी पति- मथुरा चौहान ग्राम-पेस पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	रामेसर चौहान पिता- युवराज चौहान ग्राम- पेस पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	रामेश्वरी देवी पति-राम दहिन राम ग्राम-चिकसौरा पो0-पडौल थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	रमेश हजरा पिता-सहदेव हजरा ग्राम-मगलपाल नूरन पो0 दरियापुर थाना-दरियापुर जिला सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	मिनता देवी पति-अरुण कुमार अनिल ग्राम-पती बीगहा पो0-पडौल थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	लक्ष्मण चौधरी पिता-रामचन्द्र चौधरी ग्राम-मनपुरा पो0-टरवा मगरपाल थाना-दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	धन देवी पति -प्रभु राय ग्राम-मकरपाल नूरन पो0-दरियापुर थाना दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	राधिका देवी पति-राजगीर साह ग्राम- दरबेसा पोस्ट-टरवा मंगरपाल थाना दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

32	राम जोतिया देवी पति-ज्ञानचन्द्र राम ग्राम-सरैया पोस्ट+थाना दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	राम दसिया देवी पति-लक्ष्मण राय ग्राम-मनपुरा पो0-तरवा मगरपाल थाना दरियापुर जिला सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	सुमित्रा देवी पति-रामप्रवेश राम ग्राम+पो0-सरैया थाना-दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	बिमला राय पिता-बाटेश्वर राय ग्राम-दरबेसा पो0-तरवा मगरपाल थाना-दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं UCBA0001894 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 115(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

आशिष कुमार ठाकुर  
पिता- ललन कुमार ठाकुर  
ग्राम+पो०- वेरमा  
थाना- लखनौर  
जिला- मधुबनी  
पिनकोड- 847410

पटना दिनाक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशिष कुमार ठाकुर पिता- ललन कुमार ठाकुर ग्राम+पो०- वेरमा थाना- लखनौर जिला- मधुबनी पिनकोड- 847410	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-3322421070, खाता धारक का नाम- ASHISH KUMAR THAKUR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JHANJHARPUR BAZAR, IFSC कोड स०- CBIN0284459 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 135(14)

पटना, दिनाक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रजीत कुमार  
पिता- स्व० दीनानाथ गुप्ता  
ग्राम- सम्मसपुर जफराबाद  
पो०- फतुहा  
थाना- नदी  
जिला- पटना  
पिनकोड- 803201

पटना दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत कुमार पिता- स्व० दीनानाथ गुप्ता ग्राम- सम्मसपुर जफराबाद पो०- फतुहा थाना- नदी जिला- पटना पिनकोड- 803201	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 7178000100008707, खाता धारक का नाम- RANJEET KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम- FATHUA, IFSC कोड सं- PUNB0717800 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 136(14)

पटना, दिनाक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैजिस्टर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/11/26  
निदेशक प्रमुख

FATUHA  
NEAR MANASPOUR (INDIA), MAIN ROAD FATUHA PATNA - 803201 (Phone: 07468895)

**खाता विवरण/ACCOUNT PARTICULARS**

IFSC Code PUNB0717800

Call our toll free number 1800 180 2222 from anywhere in India

Mode of Operation : SELF

Customer No. : K08001001

Account No. : 7178000100008797 INR

MR. RANJEET KUMAR

VILL- SAMHASPUR, JAFRABAD

FATUHA, DIST- PATNA

PATNA

BINHAR 140714

Pin : 803223

Registration Registered at S.No. 1497849/04

Residence Name : RANJEET KUMAR

Date of Issue : 29-08-2011

**प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official/Manager**

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करने/आद्याक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित पासबुक/विवरणों पर हस्तालिखित (मैनुअल) प्रविष्टियाँ स्वीकार न करें।

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

पीछे से लाया गया  
Brought Forward  
आगे से लाया गया

Carried Over

नकद

Cash

चेक

Cheque

समाशोधन

Cleaning

कमीशन

Commission

बट्टा

Discount

लाभाश पत्र

Dividend Warrant

ड्राफ्ट

Draft

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

Electronic Clearing Services

प्रारंभिक प्रभार

Incidental Charges

इंटरनेशनल


Inter Sol

संग्रह

Collection

मुद्रा

Bank



पी/ला

B/F

आ/ले का

C/O

नकद

Cash

चेक

Ch.

सशो

Clg

कमी

Com.

बट्टा

Disc.

ला पत्र

D/W

ड्रा

Dft.

ईसीएस

ECS

प्रा प्र

ISO

व्याज

I/C

आईएसओ

ISO

व्याज

बैंक ग्राहक के बैंक को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेषों तथा सभी दिन में खाते से एटीएम व इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखेंगे।

Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance up the previous day and against clear balance including withdrawals made through Intern Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें / PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK  
24 घंटे नि-शुल्क कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध है। 1800180 2222 / 0124-2340000  
Toll free 24 hours call centre 18001802222 / 0124-2340000

रंजीत कुमार  
रंजीत कुमार

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रामु कुमार  
पिता- राजकिशोर राय  
ग्राम- चकमेहसी  
पो०- पुरुषोत्तमपुर  
थाना- मनियारी  
जिला- मुजफ्फरपुर  
पिनकोड- 842002

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामु कुमार पिता- राजकिशोर राय ग्राम- चकमेहसी पो०- पुरुषोत्तमपुर थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 842002	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं-44120941818, खाता धारक का नाम- RAMU KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-PGIMER, CHANDIGARH, IFSC कोड सं- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 137(14)

पटना, दिनाक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

### सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

### Tips for Secure Banking

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, स्पेशल चरित्र (Special Characters) का इस्तेमाल करें उसे सावधान और बदलें करें।
- अपनी व्यक्तिगत विवरण जैसे उद्योगकर्ता नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, कार्ड क्रमांक, सीडीए, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा भेजे गए सामान्य ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाले लिंक पर क्लिक न करें।
- अनजान कर्मियों की सलाह पर कोई भी एप्लिकेशन डाउनलोड न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले "संदेश" हमें "SBI" व "SB" संक्षिप्त कोड के साथ ही आये। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

- Keep your pass word strong and complex with a combination of small and capital letters, digit and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" or e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

सहायता हेतु हमें ईमेल/फोन नंबर पर संपर्क करें।  
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Call our helpline number for assistance:  
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109

To report any suspicious activity, kindly email on [report.phishing@sbi.co.in](mailto:report.phishing@sbi.co.in) or call on the cybercrime helpline number 1930. For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-crime>




संयुक्त बैंक  
संघ

STATE BANK OF INDIA  
BRANCH OFFICE

STATE BANK OF INDIA  
BRANCH OFFICE

7061424021



NAME:- RAMU KUMAR  
A/C :- 44120941818  
IFSC :- SBIN0001524  
Mob :- 7061424021